न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 48/2022 /दावा/बउनवान/गुलाबचन्द बनाम अन्तिमा वगै0

जीसीएमएस संख्या 2022/64

1. गुलाबचन्द पुत्र शंकर जाति धाकड निवास ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रूपनारायण उर्फ सत्यनारायण पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. अन्तिमा पत्नि लेखराज जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. चतुर्भुज पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ईवरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जोधराज पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. नाबालिक दीपा पुत्री प्रमोद कुमार जरिये सरपरस्त दादी हीरावाई जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. पूजा बाई पत्नि स्व. प्रमोद कुमार जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. महावीर पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. हरिवल्लभ पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
10. हीराबाई पत्नि स्व. अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
11. श्याम मनोहर पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
12. दीनदयाल पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
13. गायत्रीवाई पुत्री कस्तूरचन्द पत्नि दीनदयाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) हाल निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव मांगरोल जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट

वकील वादी : श्री बुद्विप्रकाश मालव/वादीगण स्वयं
वकील प्रतिवादी : प्रतिवादी स्वयं
दायरा दिनांक 07.04.2022 **निर्णय दिनांक 01.05.2025**

निर्णय

कोर्ट कैम्प महलपुर

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 व प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 के मृतक पिता कस्तूरचन्द के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या. 9 खसरा नं0. 47 रकबा 2.32 हे०, वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 व प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 के मृतक पिता कस्तूरचन्द के शामलाती रुप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी 1/3 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी को वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी के सहखातेदार कस्तूरचन्द पुत्र शंकर की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 सहखातेदार कस्तूरचन्द के वारिसान हैं जिनके नाम अभी नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है तथा खाता विभाजन में सहखातेदार कस्तूरचन्द का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 को कस्तूरचन्द के विधिक वारिसान होने से वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उनको प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 बनाया गया है।
3. यह कि उक्त विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 व प्रतिवादी क्रम 11 ता 13 के मृतक पिता कस्तूरचन्द के संयुक्त खाते में दर्ज है तथा वादीगण का हिस्सा 1/3 जमाबन्दी में दर्ज है यानि वादीगण कुल खाते की आराजी के हिस्सा 1/3 के खातेदार कृषक हैं तथा उनका नाम जमाबन्दी में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है जिस पर पारिवारिक विभाजन से वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं।
4. यह कि उक्त विवादित आराजी जो वाद–पत्र की मद नं0 1 में वर्णित है जो वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 10 व मृतक खातेदार कस्तूरचन्द के शामलाती खाते में दर्ज होने से उनके मध्य कर्ता पिलाई व रास्ते व मेड बन्दी को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है तथा आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की आराजी में भू–सुधार भी नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि वह माननीय न्यायालय से विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करवाले जिसकी वादीगण नालिसी पेश करते हैं।
5. यह कि उक्त आराजी शामलाती खाते में दर्ज है और वादीगण ग्राम ईश्वरपुरा में निवास करते हैं तथा अभी उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त आराजी में से अपने हिस्से को बिना विधिवत विभाजन रहन बेचान करने को तैयार हैं तथा वह आये दिन वादीगण को आराजी रहन बेचान करने व आराजी में दखलअंदाजी करने व अन्य व्यक्ति को मुनाफे पर देने की धमकी देते है इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिसका वादी कानूनन अधिकारी है।
6. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 13 से कई बार तहसील मांगरोल में चलकर खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादीगण खाता विभाजन को तैयार नहीं है तथा अन्तिम बार वादीगण द्वारा दिनांक 15.03.2022 को प्रतिवादीगण से खाता विभाजन का निवेदन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट मना करने पर यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 14 को भू–धारक होने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिसके विरुद्ध वाद में कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।
8. यह कि वाद कारण दिनांक 15.03.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से विधिवत खाता विभाजन की कहने पर उनके द्वारा मना करने पर ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ है।
9. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज. में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
10. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुणा कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर फरमायी जावे :–

(अ) कि विवादित आराजी खाता संख्या 9 खसरा नं0 47 रकबा 2.32 हे० वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज० जिसमें वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/3 दर्ज है वादीगण का हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 ता 13 से पृथक किया जाकर पृथक से वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा रास्ता, धोरा व कर्ता पिलाई पृथक से कायम किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम 14 को आदेश दिया जावे।

(ब) कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को मुनाफे से नहीं देवें।

(स) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली कोर्ट कैम्प महलपुर में दिनांक 25.04.2025 को पेश हुई। पक्षकारान कोर्ट कैम्प में उपस्थित आए। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति प्रकट करने पर तहसीलदार मांगरोल को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 01.05.2025 को पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

कोर्ट कैम्प महलपुर में तहसीलदार मांगरोल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम नन्दगावडी की आराजी ख नं. 47 रकबा 2.32 है0 1 अन्तिमा बाई पत्नि लेखराज हि0 1/12 जाति माली सा. मांगरोल 2. कस्तूरचन्द पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 3. गुलाबचन्द पुत्र शंकर हि0 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 4. चतुर्भुज हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 5. जोधराज पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 6. नाबालिग दीपा पुत्री प्रमोद कुमार संरक्षक सरपरस्त दादी हीराबाई हि. 1/72 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 7. पूजाबाई पत्नी स्व. प्रमोद कुमार हि. 1/72 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 8. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 9. महावीर पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 10. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 11. सत्यनारायण उर्फ रूपनारायण पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा

12. हरिवल्लभ पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 13. हीराबाई पत्नी स्व. अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी ख.सं. 47 रकबा 2.32 हे0 का आराजी मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि मुताबिक मौका स्थिति उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगणों में से किसी का भी कब्जा काश्त नहीं है। उक्त स्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों में से किसी का भी कब्जा आराजी ख. नं. 47 रकबा 2.32 हे0 पर नहीं है। मौके पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में पक्षकारान में बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण किसी का भी कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदने इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 48/2022 /दावा/बउनवान/गुलाबचन्द बनाम अन्तिमा वगै0

जीसीएमएस संख्या 2022/64

निर्णय दिनांकः– 01.05.2025

बउनवानः–

1. गुलाबचन्द पुत्र शंकर जाति धाकड निवास ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रूपनारायण उर्फ सत्यनारायण पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

__वादीगण

बनाम

1. अन्तिमा पत्नि लेखराज जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. चतुर्भुज पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जोधराज पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. नाबालिक दीपा पुत्री प्रमोद कुमार जरिये सरपरस्त दादी हीराबाई जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. पूजा बाई पत्नि स्व. प्रमोद कुमार जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. महावीर पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. हरिवल्लभ पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
10. हीराबाई पत्नि स्व. अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
11. श्याम मनोहर पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
12. दीनदयाल पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
13. गायत्रीबाई पुत्री कस्तूरचन्द पत्नि दीनदयाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) हाल निवासी तलाव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

______प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट

वकील वादी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव/वादीगण स्वयं
वकील प्रतिवादी : प्रतिवादी स्वयं

कोर्ट कैम्प महलपुर में वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बबत इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
मुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।